41. मुजफ्फरनगर
42. गाजियाबाद
43. बुलन्दशहर
44. वाराणसी
45. मिर्जापुर
46. जौनपुर
47. गाजीपुर
48. बलिया
49. नैनीताल
50. अल्मोडा
51. पिथौरागढ़
52. पौढी गढ़वाल
53. चमौली
54. उत्तर काशी
55. टिहरी गढ़वाल
56. देहरादून

राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नए जिला उद्योग केन्द्रों के नाम जिसके लिए केंद्र सरकार विकास आयुक्त (ल०उ०) की स्वीकृति लम्बित है

1. कानपुर (देहात)
2. सोनभद्र
3. फिरोजाबाद
4. सिद्धार्थ नगर
5. मऊ
6. हरिद्वार
7. महाराज गंज

औद्योगिक लाइसेन्सों के लिए उत्तर प्रदेश से प्राप्त आवेदन पत्र

2147. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केंद्र सरकार को औद्योगिक लाइसेंसों की स्वीकृति के लिए उत्तर प्रदेश से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) स्वीकृत एवं अस्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या कितनी-कितनी है ;

(ग) 10 वर्षों से भी अधिक समय से लंबित पडे हुए आवेदन पत्रों के मामले में लाइसेंस न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने औद्योगिक लाइसेंसों की स्वीकृति के लिए लम्बित पडे हुए आवेदन पत्रों के शीघ्र निपटान के लिए अभी तक क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० कुरियन) : (क) से (घ) 1988 से 1991 (नवम्बर, 1991 तक) के दौरान कुल 1672 आवेदन औद्योगिक लाइसेंसों की मंजूरी के लिए उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए थे, जिनमें से 636 आवेदनों का अनुमोदन कर दिया गया है और 660 आवेदन नामंजूर कर दिए गए अथवा निपटा दिए गए हैं ।

कोई प्रस्ताव दस वर्षों से अधिक समय से लंबित नहीं है ।

नयी औद्योगिक नीति के तहत 18 उद्योगों की एक छोटी सूची को छोड़कर जिनके लिए लाइसेंस अनिवार्य हैं, शेष उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी है औद्योगिक अनुमोदन देने के लिए आवेदनों का निपटान करने की विनिर्दिष्ट समय सीमायें हैं । यह सुनिश्चित करने के पूरे प्रयास किए जाते हैं कि आवेदनों को इस समय सीमा में निपटा दिया जाए ।

Growth Funds by Small Scale Ininstr

2148. SHRI KRISHNA KUMAI BIRLA: Will the PRIME MINISTER b pleased to state:

(a) whether the PHD Chambers of Coo: merce and Industry has recently noto a proposal for creation of Growth Fonc